

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 मई 2015—ज्येष्ठ 8, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2015

क्र. डी-15-6-2015-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, (क्रमांक 24 सन् 1973), की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-6-2015-चौदह-3 दिनांक 25 मार्च, 2015 के द्वारा राज्य सरकार ने अशोकनगर जिले की चन्देरी तहसील के समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय का विनियमन करने के लिये चन्देरी में पृथक मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा की थी.

अतएव कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, (क्रमांक 24 सन् 1973), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध में अशोकनगर जिले की तहसील चंदेरी के समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय को विनियमन करने के लिये चंदेरी में पृथक मंडी स्थापित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2015

क्र. डी-15-6-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 29th May 2015

No. D-15-6-2015-XIV-3.—WHEREAS, vide this department Notification No. D-15-6-2015-XIV-3 dated 25 March 2015 issued under the provision of sub-section (1) of section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972, (No. 24 of 1973) the State Government hereby declares its intention to establish a Seperate market at Chanderi for regulating the purpose and sale of the Agricultural produce mentioned in the shedule of the said Act, including all Revenue and Forest villages of Tehsil Chanderi in Ashoknagar district.

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972, (No. 24 of 1973), the State Government hereby establish a separate market at Chanderi for regulating the purchase and sale of the agricultural produce mentioned in the/act, including all revenue and forest villages of the Tehsil Chanderi in Ashoknagar district.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2015

क्र. डी-15-6-2015-चौदह-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 145-13 दिनांक 9 जून, 1953 द्वारा तत्कालीन जिला गुना अब जिला अशोकनगर की तहसील मुंगावली एवं चंदेरी के मंडी क्षेत्र मुंगावली में (जो इसमें इसके पश्चात "उक्त मंडी क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है), उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था.

और, चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) के उपबंधों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-6-2015-चौदह-3 दिनांक 25 मार्च, 2015 द्वारा अशोकनगर जिले की चंदेरी तहसील में स्थित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त मंडी क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है) को विपाटित किया था.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से "उक्त मंडी क्षेत्र" को अशोकनगर जिले की चंदेरी मंडी के "उक्त क्षेत्र से" विपाटित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2015

क्र. डी-15-6-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 29th May 2015

No. D-15-6-2015-XIV-3.—WHEREAS, by this department Notification No. 6139/6628 dated 13-9-1962 issued under the provisions of section 3 of Sub-Section (3) of the Madhya Pradesh Krishi Uapj Mandi Adhiniyam 1960 (No. 19 of 1960), the State Government here by regulated the pruchase and sale of the Agricultural produce specified in

the said Notification in the area of Tehsil Mungawali and Chanderi in Ashoknagar District, (here in after referred to as the "said market area").

AND WHEREAS by this department Notification No. D-15-6-2015-XIV-3.—dated 25-03-2015 issued under the provision of clause (iii) of sub section (1) of section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government has signifies it's intention to the said Market area by split up there from the area comprising of villages situated Chanderi Tehsil of Ashoknagar district, (here in after referred to as the said area).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub section (2) of section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here establish a seperate market at Chanderi by splitting the "Said market area" from the "said area."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy

भोपाल, दिनांक 29 मई 2015

क्र. डी-15-6-2015-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 मार्च 2015 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति चंदेरी के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को मंडी प्रांगण घोषित करती है:—

स्थान

नगरपालिका चंदेरी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 6.747 हेक्टर भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	190/1	6.747
	योग	6.747

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—प्रस्तावित गौशाला की भूमि.
दक्षिण में—खसरा नं. 189 की भूमि.
पूर्व में—मुंगावली—चंदेरी रोड.
पश्चिम में—खसरा नं. 180 की भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2015

क्र. डी-15-6-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 29th May 2015

No. D-15-6-2015-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973). the State Government here by declare the

following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Chanderi has been established by this department's Notification even dated 29th May 2015, shall be market yard namely:—

PLACE

An area of 6.747 Hectore's land of below mentioned Khasra number at Munispal Corporation Chanderi in Tehsil Chanderi of District Ashoknagar.

S. No.	Khasra No.	Area (In Hector)
1	190/1	6.747
Total . . .		6.747

BOUNDED BY

- On the North by—Approved Land of Cowshed.
 On the South by—Land of Survey No. 189.
 On the East by—Mungawali Chanderi road.
 On the west by—Land of Survey No. 180.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
 R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

Bhopal, the 29th May 2015

No. D-15-6-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (2) of section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard vide this department's notification even Number, dated 25 March 2015 the following area of Chanderi of district Ashoknagar shall be market area:—

AREA

- (1) An area within the limit of Munispal Corporation Chanderi in Tehsil Chanderi of District Ashoknagar.
- (2) An area comprising of the following villages within the raiodius of 5 Kilometers from the mark yard namely.

(1) Pranpura (2) Singpur Chalda (3) Phatehabad (4) Tagari (5) Singpur tal (6) Imaliya (7) Ramnagar (8) Saray (9) Sayamgarh (10) Katiyapura (11) Dhimroli (12) Baniyadana (13) Rudrapur (14) Bhojpur (15) Takari (16) Kohapoha (17) Madhroli (18) Kotra (19) Nanakpur (20) Thanpur (21) Chanderi.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
 R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.